<u>मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर</u>

<u>निविदा आमंत्रण सूचना</u>

निविदा दस्तावेज में उल्लेखित विशिष्टताओं, नियमों और शर्तों के तहत मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर में 7/8 सीटर AC टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन तथा 20/25 सीटर मिनि बस एवं 32/35 सीटर पैसेंजर बस किराये पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से ई–निविदाएं/ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ऑनलाइन टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 21 मार्च, 2024 को सायं 06:00 बजे तक है। सीलबंद निविदा समस्त दस्तावेजों सहित संचालक, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर को संबोधित करते हुये दिनांक 22 मार्च, 2024 को 05.00 बजे तक आवक शाखा, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर में जमा किया जाना होगा। निविदा दिनांक 23 मार्च, 2024 को 11.00 बजे खोली जाएगी। विस्तृत निविदा दस्तावेज उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं cww.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है।

Sd/
<u>रजिस्ट्रार जनरल</u>

Pursuit of Excellence

MADHYA PRADESH STATE JUDICIAL ACADEMY,JABALPUR
मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी,जबलपुर

Beoharbagh, Jabalpur (M.P.) – 482 007
ब्योहारबाग, जबलपुर (म.प्र.) – 482 007
Ph. No. 0761-2626945 Telefax 0761-2628679 E-mail: dirmpsja@mp.gov.in

---

Reg(IT)(SA)/2024/243 **Jabalpur, Dated:** 29/02/2024

–: निविदा प्रपत्र :–

मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर में 7/8 सीटर AC टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन तथा 20/25 सीटर मिनि बस एवं 32/35 सीटर पैसेंजर बस किराये पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र

<u>महत्वपूर्ण तिथियां</u>

1.	निविदा अनिवार्यतः ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	21 मार्च, 2024 सांयः 06:00
2.	निविदा अनिवार्यतः ऑफलाइन (समस्त दस्तावेजों सहित) जमा करने की अंतिम तिथि	22 मार्च, 2024 सांयः 05:00
3.	निविदा खोले जाने की तिथि	23 मार्च, 2024 प्रातः 11:00

निविदा जमा करने एवं खोले जाने का स्थान – मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, ब्योहारबाग, जबलपुर (म.प्र.) – 482 007

निविदा प्रपत्र मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं www.mptenders.gov.in **से डाउनलोड किया जा सकता है।**

निविदाकर्ता का नाम एवं पताः ....
(फोन नंबर एवं ई–मेल के साथ उल्लेख करें)

....

....

....

नोट– इस निविदा प्रपत्र में 25 पृष्ठ हैं। निविदाकर्ता द्वारा इस निविदा दस्तावेज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा परिवर्धन अनुज्ञेय नहीं है।

विषय सूची

मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में 7/8 सीटर ए.सी. टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन (चालक सहित) तथा 20/25 सीटर मिनी बस एवं 32/35 सीटर पैसेंजर बस किराये पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र

अध्याय	विवरण	पृष्ठ
1.	निविदा आमंत्रण सूचना	03-04
2.	ई–टेंडरिंग के लिए नियम एवं शर्तें	05-06
3.	निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश	07-16
4.	संविदा की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें	17-22
5.	तकनीकि निविदा फार्म	23
6.	वित्तीय निविदा फार्म	24-25

Pursuit of Excellence
MADHYA PRADESH STATE JUDICIAL ACADEMY, JABALPUR
मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर

Beoharbagh, Jabalpur (M.P.) – 482 007
ब्योहारबाग, जबलपुर (म.प्र.) – 482 007
Ph. No. 0761-2626945 Telefax 0761-2628679 E-mail: dirmpsja@mp.gov.in

Reg(IT)(SA)/2024/ 243 **Jabalpur, Dated:** 29/02/2024

अध्याय – 1

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर से रजिस्ट्रार जनरल द्वारा **"मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के उपयोग हेतु 7/8 सीटर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन (चालक सहित) एवं मिनी बस/पैसेंजर बस किराये पर लेने हेतु"** Two निविदा प्रणाली के अनुसार अनुभवी सेवा–प्रदाताओं से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

कार्य का वार्षिक अनुमानित मूल्य (रू. में)	निविदा की प्रतिभूति **EMD** (रू. में)	निविदा दस्तावेज का मूल्य **Application Fee** (रू. में)	निविदा अनिवार्यतः ऑनलाइन जमा करने की तिथि व समय	निविदा अनिवार्यतः ऑफलाइन (समस्त दस्तावेजों सहित) जमा करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोले जाने की तिथि व समय
16,00,000/–	40,000/–	2,000/–	21 मार्च, 2024 सायं: 06:00	22 मार्च, 2024 सायं: 05:00	23 मार्च, 2024 प्रातः 11:00

(i) इच्छुक निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज को आधिकारिक वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in अथवा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक

वेबसाईट http://www.mphc.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। इच्छुक निविदाकर्ता ऊपर उल्लिखित तिथियों एवं समय के भीतर अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ii) बोलीदाता ऊपर दी गई मुख्य तिथियों तक या उससे पहले अपना टेंडर www.mptenders.gov.in पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बोली की भौतिक हार्ड कॉपी भी नीचे दिए गए पते पर 22 मार्च, 2024 सांयः 05:00 बजे तक जमा की जानी चाहिए।

(iii) इस निविदा के संबंध में आगामी सभी संशोधन/अधिसूचनायें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट http://www.mphc.gov.in अथवा http://www.mptenders.gov.in पर ही उपलब्ध कराई जायेंगी। निविदाकर्ताओं से कोई व्यक्तिगत पत्राचार नहीं किया जायेगा।

(iv) निविदा की अन्य सभी शर्तें एवं निबंधन इस निविदा दस्तावेज में समाहित हैं। यदि किसी कारण से निविदा जमा करने अथवा खोले जाने की तिथि पर अवकाश घोषित किया जाता है तो आगामी कार्य दिवस पर निविदायें जमा की अथवा खोली जा सकेंगी।

(v) रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश को किसी भी प्रस्ताव को बिना कोई कारण सूचित किये स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

पत्राचार का पताः

संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, ब्योहारबाग, जबलपुर (म.प्र.) – 482 007

Ph. No. 0761-2626945

Telefax 0761-2628679

E-mail: dirmpsja@mp.gov.inand**mpjotri@gmail.com**

अध्याय–2
ई–टेंडरिंग के लिए नियम एवं शर्तें

1. ई–टेंडरिंग मॉड्यूल में भाग लेने के लिए संभावित बोलीदाताओं को वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसलिए सभी संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके पंजीकरण प्राप्त करें।
2. निविदा दस्तावेज केवल निविदा शुल्क के भुगतान पर ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं और वेबसाइट से निविदा दस्तावेज शुल्क का आनलाईन भुगतान करके www.mptenders.gov.in. से डाउनलोड किए जा सकते है।
3. सेवा और गेटवे शुल्क बोलीदाताओं द्वारा वहन किया जाएगा।
4. चूंकि बोलीदाताओं को अपनी बोली पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करना आवश्यक है कक्षा–III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र, उन्हें यथाशीघ्र प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।
5. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, बोलीदाताओं से www.mptenders.gov.in वेबसाइट पर जाने का अनुरोध किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी होने में 7 से 10 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने में देरी के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
6. यदि बोलीदाता पहली बार ई–टेंडरिंग के लिए जा रहा है, तो बोलीदाता को सभी औपचारिकताएं जैसे पंजीकरण, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करना आदि पहले से ही पूरा करना अनिवार्य है।
7. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे किसी भी स्पष्टीकरण और/या नियत तिथि विस्तार के लिए नियमित रूप से हमारी ई–टेंडरिंग वेबसाइट पर जाएं।
8. बोलीदाता को ऑनलाइन ई–टेंडरिंग प्रक्रिया अवश्य पूरी करनी होगी www.mptenders.gov.in.
9. किसी भी कारण से वेबसाइट से डाउनलोडिंग सुविधा में देरी/कठिनाइयों/दुर्गमता के लिए विभाग किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

10. किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए बोलीदाता इस बेवसाईट पर संपर्क कर सकते हैं www.mptenders.gov.in या हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तकनीकी संबंधित प्रश्न के लिए कृपया हेल्प डेस्क नंबर 0120–4001 002, 0120–4200 462, 0120–4001 005, 0120–6277 787 या technical-support-eproc@nic.in पर 24 x 7 कॉल करें। सहायता समयः सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक।

11. इच्छुक बोलीदाता अपने खर्च पर भोपाल में निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अधिक पूछताछ के लिए कृपया हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

12. जो भी बोलीदाता अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र द्वारा निविदा जमा कर रहा है, उसे अनिवार्य रूप से प्राधिकार पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी और साथ ही विशेष निविदा की पेशकश के साथ भौतिक रूप में उसकी प्रति भी जमा करनी होगी।

13. एनएसआईसी के तहत पंजीकृत फर्मों को निविदा शुल्क और ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है। लेकिन उन्हें इस संबंध में वैध दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

अध्याय –3

निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश

2.1 **परिभाषा** : इस निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित शब्दों या युग्मों का उनके सम्मुख दर्शाया गया अर्थ निकाला जायेगा :

(1) "**क्रेता**" से अभिप्रेत है रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर अथवा उनके प्रतिनिधि।

(2) "**निविदाकर्ता**" से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अथवा फर्म अथवा Joint Venture जो इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेता है अथवा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।

(3) "**सफल निविदाकार**" का अर्थ है वह निविदाकार जो इस निविदा के संपूर्ण मूल्यांकन के उपरांत कार्य आदेश प्राप्त करता है। सफल निविदाकार को इस दस्तावेज में "सेवा–प्रदाता" से भी संबोधित किया जायेगा।

(4) "**कार्यादेश**" का अर्थ है क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा पत्र जिसके द्वारा इस संविदा द्वारा अपेक्षित कार्य एवं सेवा प्रदाय करने के लिए सफल निविदाकार को दी जाने वाली सूचना। संविदा प्रदाय करने का समय कार्य आदेश में उल्लेखित तिथि से प्रारंभ होगा।

(5) "**संविदा**" का तात्पर्य है क्रेता एवं सफल निविदाकार के मध्य निष्पादन अनुबंध पत्र एवं उसके साथ संलग्न समस्त अनुलग्न एवं अनुसूचियां। संविदा में निष्पादित अनुबंध पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज सम्मिलित माने जायेंगे।

(6) "**संविदाकार**" से अभिप्रेत है व्यक्ति, फर्म अथवा कोई अन्य संस्था जो इस निविदा के अधीन सेवायें प्रदान करती है।

(7) "**अनुमानित वार्षिक संविदा मूल्य**" से अभिप्रेत है सफल निविदाकार को इस निविदा के अधीन मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर में उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन के एवज में एक वर्ष के लिए भुगतान किये जाने वाली अनुमानित कुल धनराशि।

(8) "**संविदा अवधि**" से अभिप्रेत है क्रेता एवं सेवा–प्रदाता के मध्य कार्यादेश के अंतर्गत निष्पादित अनुबंध पत्र के निष्पादन की तिथि से तीन वर्ष तक की अवधि।

(9) "**निविदा आमंत्रण सूचना**" से अभिप्रेत है इस निविदा दस्तावेज के अध्याय – 1 में वर्णित निविदा आमंत्रण सूचना।

(10) "**संचालक**" का अर्थ है मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, ब्योहारबाग, जबलपुर (म.प्र.) – 482 007 के संचालक जिसमें प्रभारी संचालक भी सम्मिलित हैं और जो इस निविदा के निष्पादन एवं देख–रेख हेतु मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अधिकृत हैं।

(11) "**सेवाएं**" का अर्थ है मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, ब्योहारबाग, जबलपुर (म.प्र.) – 482 007 में दो मासिक एवं आवश्यकतानुसार अन्य अवधि हेतु टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन एवं बसों को किराये पर उपलब्ध कराने की सेवा तथा इसमें सेवा के अनुषांगिक कार्य भी सम्मिलित होंगे।

(12) "**समान कार्य**" का अर्थ है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन एवं बसों का किसी शासकीय एवं प्राइवेट संस्थान में कार्य पर उपलब्ध कराया जाना।

(13) "**अकादमी अथवा एम.पी.एस.जे.ए.**" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ब्योहारबाग, जबलपुर (म.प्र.) – 482 007।

(14) "**वर्ष**" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया गया हो।

2.2 निविदा दस्तावेज

2.2.1 निविदा करने की प्रक्रिया एवं रीति, प्रदाय की जाने वाली सेवाओं का विवरण तथा निविदा की समस्त शर्तें एवं निबंधन इस निविदा दस्तावेज में विस्तारपूर्वक उल्लिखित हैं।

2.2.2 निविदाकर्ता से अपेक्षित है कि इस निविदा दस्तावेज के समस्त निर्देशित शर्तों, निबंधनों, विशिष्टियों एवं विनिर्देशनों को भली–भांति पढ़ें। इस निविदा दस्तावेज

में अपेक्षित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/निविदा बिना किसी अग्रिम विचार के नामंजूर कर दी जायेगी।

2.2.3 इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रारूप में मांगी गई समस्त जानकारी प्रारूप के सुसंगत कॉलम में स्पष्टतया उल्लिखित करनी होगी तथा कोई शर्त लागू न होती हो तो निविदाकर्ता को वहां 'निरंक' उल्लिखित करना होगा। निविदाकर्ताओं को सचेत किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप में कोई भी परिवर्तन करने अथवा अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर उनका प्रस्ताव नामंजूर कर दिया जायेगा।

2.2.4 फैक्स, टेलीग्राम अथवा ई–मेल से प्राप्त निविदाएं व विलंब से प्राप्त होने वाली निविदा को विचार में नहीं लिया जायेगा।

2.2.5 प्रस्तावित निविदा साफ–सुथरी अंकित अथवा गुणवत्तापूर्ण कागज पर प्रिंट लेकर जमा की जानी चाहिये। यदि प्रिंटआउट में लगाकर जानकारी भरी जाती है तो लिखावट स्वच्छ, साफ एवं पठनीय होनी चाहिये। निविदाकर्ताओं को इस निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे एवं अपने कार्यालय की मुद्रा लगानी होगी।

2.2.6 निविदाकर्ता को Over Writing से बचना चाहिये। यदि कोई सुधार करना भी हो तो गलत लिखे शब्द/अंक को मात्र एक लाईन से काटकर उसके ऊपर सुस्पष्ट शब्द/अंक लिखकर निविदाकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर करने एवं तिथि अंकित करनी होगी। यदि निविदाकर्ता कोई अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ना चाहते हैं तो उसे अंतिम पृष्ठ के पश्चात् सरल क्रमांक उल्लिखित करते हुए जोड़ सकते हैं।

2.3 निविदा का व्यय–

निविदाकर्ता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक समस्त व्यय जैसे निविदा तैयार किया जाना, आवेदन शुल्क, निविदा की प्रतिभूति एवं अन्य आनुषांगिक खर्चे स्वयं वहन करने होंगे।

2.4 आवेदन शुल्क एवं निविदा की प्रतिभूति (Application Fee and Earnest Money Deposit)–

2.4.1 यह प्रस्ताव ₹ 2,000/– के आवेदन शुल्क (Online Application Fee) एवं ₹ 40,000/– के निविदा की प्रतिभूति (Online EMD) के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क एवं निविदा की प्रतिभूति **रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर** के नाम जबलपुर में देय डिमान्ड ड्राफ्ट, पे–आर्डर, मियाद जमा रसीद अथवा बैंक गारंटी जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक की हो तथा जबलपुर में भुगतान योग्य हो। आवेदन शुल्क एवं निविदा की प्रतिभूति के बिना प्रस्तुत समस्त निविदाएं नामंजूर कर दी जाएंगी। किसी भी स्थिति में निविदा की प्रतिभूति पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। फर्म जो कि एन.एस.आई.सी. के अंतर्गत पंजीकृत है, उन्हें अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (बयाना राशि) के भुगतान से छूट है।

2.4.2 सफल निविदाकार की निविदा की प्रतिभूति उसके द्वारा अनुबंध निष्पादन करने के उपरांत **"निष्पादन प्रतिभूति"** प्रस्तुत कर दिये जाने पर वापस की जाएगी।

2.4.3 निविदा की प्रतिभूति निम्नलिखित परिस्थितियों में समपहृत कर ली जायेगी –

(i) यदि निविदाकार निविदा की अवधि के भीतर अपनी निविदा वापस लेता है;

(ii) यदि निविदाकार क्रेता द्वारा प्रस्तावित लिपिकीय त्रुटि को अपने प्रस्ताव में स्वीकार करने से इंकार करता है;

(iii) यदि सफल निविदाकार विहित समयावधि में निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में असफल रहता है;

(iv) यदि सफल निविदाकार कार्यादेश जारी होने की विहित समयावधि में अनुबंध पत्र निष्पादित करने में असफल रहता है।

2.4.4 असफल निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा की प्रतिभूति निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने एवं कार्यादेश जारी होने पर वापस कर दी जायेंगी।

2.5 सेवा का मूल्य –

निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित फार्म में प्रत्येक सेवा के लिए पृथक से मूल्य दर्शित करना होगा जिसमें समस्त कर, जी.एस.टी., टोल टैक्स एवं अन्य खर्चे एवं अनुषांगिक व्यय सम्मिलित होंगे।

2.6 प्रस्ताव की वैधता –

इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव, सफल निविदाकर्ता को छोड़कर, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 180 दिन के लिए प्रभावशील रहेगा।

2.7 एक निविदाकर्ता द्वारा मात्र एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावेगा –

प्रत्येक निविदाकर्ता को मात्र एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी संयुक्त फर्म के प्रतिनिधि के रूप में अथवा संयुक्त उपक्रम के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि किसी पक्षकार द्वारा एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रस्ताव नामंजूर कर दिये जायेंगे और इस संबंध में उससे कोई आगामी पत्राचार नहीं किया जायेगा।

2.8 प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना –

2.8.1 इस निविदा के अंतर्गत समस्त तकनीकी विवरण आनलाइन एवं हार्ड कापी में प्रस्तुत किये जाएंगे। समस्त तकनीकी प्रस्ताव हार्ड बाउंड दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय प्रस्ताव सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर सबमिट करना होगा। इस वित्तीय प्रस्ताव को ऑनलाईन पोर्टल पर जमा किये बिना उसकी हार्डकॉपी मान्य नहीं होगी।

2.8.2 उपरोक्त रीति द्वारा प्रस्तुत न की गई निविदा को बिना कोई कारण बताये नामंजूर कर दिया जायेगा।

2.8.3 प्रस्तावित निविदाकारों को अपनी निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर उस पर उचित सील भी लगानी होगी।

2.8.4 इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक प्रस्ताव दो–निविदा प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे। सभी प्रस्ताव वित्तीय निविदा को छोड़कर हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किये जायेगे। वित्तीय निविदा का फार्म खुला ही

छोड़ना है और उसमें **"ऑनलाईन जमा किया गया"** हुआ उल्लेखित होना चाहिए'–

(a) **लिफाफा 1** – : इस शीर्षक पर "**आनलाइन आवेदन शुल्क एवं EMD"** उल्लेखित करते हुए लिफाफे के भीतर ₹ 2,000/– का आवेदन शुल्क (Online Application Fee) एवं ₹ 40,000/– की निविदा की प्रतिभूति (EMD) रखी जाएगी।

(b) **लिफाफा 2** – वाणिज्यिक शर्तों और निबंधनों के साथ सभी तकनीकि ब्यौरे वाली तकनीकि निविदा जो इस निविदा दस्तावेज के अध्याय – 5 **"वित्तीय निविदा"** में प्रस्तावित फॉर्म के अतिरिक्त समस्त दस्तावेजों/प्रपत्रों एवं निविदाकर्ता द्वारा संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ तैयार की जाएगी। इस लिफाफे के शीर्षक पर लिखा जाना चाहिए **"लिफाफा 2 – तकनीकि निविदा"**।

(c) **लिफाफा 3** –उपरोक्त दोनों लिफाफे पुनः एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद किए जाएंगे और इस बड़े लिफाफे के शीर्षक पर लिखा जाना चाहिए – "**मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर में किराए से वाहन सेवा प्रदाय करने की निविदा। इसे 23 मार्च, 2024 की प्रातः 11:00 बजे के पूर्व नहीं खोला जाए।**"

2.9 विलंब से प्रस्तुत निविदा –

निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदा बिना किसी विचार के नामंजूर कर दी जायेगी।

2.10 निविदा में परिवर्तन एवं निविदा वापस लिया जाना –

किसी भी निविदाकार को निविदा प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् निविदा में कोई भी परिवर्तन करने अथवा उसे प्रत्याहृत करने का अधिकार नहीं होगा।

2.11 स्थानीय कारक –

2.11.1 प्रत्येक निविदाकार से अपेक्षा है कि वह मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के कार्यालय में वाहनों की आवश्यकता, स्थानीय अवस्था एवं उसे समस्त कारकों

को विस्तारपूर्वक समझ लें जो निविदा के निष्पादन एवं मूल्य को प्रभावित करती हैं। निविदा स्वीकार होने एवं कार्यादेश जारी होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन एवं निविदाकार के किसी भी स्पष्टीकरण के निवेदन को क्रेता द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2.12 क्रेता से संपर्क –

किसी भी निविदाकार द्वारा क्रेता से निविदा के मूल्य, तुलना अथवा निविदा प्रदान करने हेतु क्रेता को प्रभावित करने वाला संपर्क किये जाने पर ऐसी निविदा को बिना किसी अतिरिक्त विचार के नामंजूर कर दिया जायेगा।

2.13 महत्वपूर्ण तिथियां :–

इस निविदा के लिए निम्नलिखित तिथियां एवं उनके सम्मुख उल्लेखित विवरण महत्वपूर्ण हैं –:

कार्य का वार्षिक अनुमानित मूल्य (रू. में)	निविदा की प्रतिभूति EMD (रू. में)	निविदा दस्तावेज का मूल्य Application Fee (रू. में)	निविदा अनिवार्यतः ऑनलाइन जमा करने की तिथि व समय	निविदा अनिवार्यतः ऑफलाइन (समस्त दस्तावेजों सहित) जमा करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोले जाने की तिथि व समय
16,00,000/–	40,000/–	2,000/–	21 मार्च, 2024 सांयः 06:00	22 मार्च, 2024 सांयः 05:00	23 मार्च, 2024 प्रातः 11:00

2.14 निविदाओं का खोला जाना :–

1. इस आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत निविदायें रजिस्ट्रार जनरल अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बनायी गई मूल्यांकन समिति द्वारा खोली जायेंगी।
2. उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय निविदा खोले जायेंगे जो तकनीकी निविदा में योग्य पाये गये हों।
3. समस्त निविदायें निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में यदि वे उपस्थित हों, खोले जायेंगी।

4. निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि यदि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित होना चाहते हैं तो उन्हें निविदाकार द्वारा जारी प्राधिकार पत्र जो निविदाकार के Letter head पर जारी होने वाले एवं अपना परिचय पत्र लेकर उपस्थित होना होगा।

2.15 निविदा खोले जाने का स्थान :–

संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, व्यौहारबाग, जबलपुर (म0प्र0) – 482007 का कार्यालय होगा। स्थान परिवर्तित होने की दशा में निविदाकारों को रजिस्टर्ड मोबाइल नं. पर सूचित किया जाएगा। इस हेतु किसी भी निविदाकार अथवा उसके प्रतिनिधि को स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा। निविदा बिन्दु क्रमांक 2.13 में उल्लिखित समय पर खोली जायेगी।

2.16 मूल्यांकन :–

1. क्रेता निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व बिना कोई कारण दर्शित किये और बिना निविदाकार को सूचना दिये किसी भी समय मूल्यांकन के आधार परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।
2. मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान क्रेता निविदाकार से किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण ले सकते हैं।
3. **चरण 1 :– आवेदन शुल्क एवं निविदा की प्रतिभूति**

   सर्वप्रथम बड़े लिफाफे में से लिफाफा – 1 खोला जायेगा जिसमें आवेदन शुल्क एवं निविदा की प्रतिभूति प्रस्तुत करनी है। जो आवेदक इस चरण में योग्य पाये जायेंगे, उन्हीं निविदाकारों के प्रस्ताव आगामी चरण में खोले जायेंगे।

   चरण 2 :– तकनीकी निविदा

   इस चरण में लिफाफा – 2 तकनीकी निविदा खोली जायेगी। प्रस्तावित निविदाकारों की योग्यताओं एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच एवं मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा। इस निविदा दस्तावेज के अध्याय 5 में प्रस्तावित अहर्ताओं को पूर्ण न करने वाले निविदाकारों की निविदा इसी प्रक्रम पर नामंजूर कर दी

जायेगी। ऐसे समस्त निविदाकार जो समस्त अहर्ताओं को बिन्दुवार पूरा करते हैं उन्हें आगामी चरण के लिए योग्य पाते हुए विचार में लिया जायेगा। इस प्रक्रम पर किसी भी निविदाकार द्वारा क्रेता के निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

चरण 3 :– वित्तीय निविदा

तकनीकी निविदा में योग्य पाये गये निविदाकारों की वित्तीय निविदा इस चरण में खोली जायेगी। वित्तीय निविदा का मूल्यांकन सेवा के लिए निर्धारित एकल दर एवं संपूर्ण सेवाओं के लिए निर्धारित "कुल दर" पर आधारित होगा। इसमें मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के लिए किराये पर लिये जाने वाले टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन एवं बसों के लिए समस्त खर्चों जैसे किराया, कर, टोल टैक्स एवं अन्य व्यय आदि सम्मिलित हैं।

2.17 संविदा प्रदान किया जाना :–

2.17.1 क्रेता द्वारा सफल निविदाकार को संविदा किये जाने की सूचना "कार्यादेश" द्वारा दर सूची सहित सूचित किया जायेगा। सेवा–प्रदान करने का समय कार्यादेश की सूचना से प्रारंभ होगा।

2.17.2 क्रेता द्वारा तदोपरान्त निविदाकार को अनुबंध निष्पादित करने हेतु अनुबंध का प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा जिसे यथा–शीघ्र हस्ताक्षरित कर सफल निविदाकार को क्रेता को वापस करना होगा।

2.17.3 अनुबंध के निष्पादन के निमित्त समस्त खर्चे जैसे स्टांप शुल्क, टाईपिंग शुल्क आदि सफल निविदाकार द्वारा वहन किये जायेंगे।

2.18 निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश :–

2.18.1 निविदा प्रपत्र तैयार करने के समस्त खर्चे एवं राशि मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के कार्यालय आने–जाने का व्यय निविदाकारों द्वारा ही वहन किया जायेगा।

2.18.2 निविदा प्रस्ताव में प्रत्येक त्रुटियों, Overwriting आदि निविदाकारों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर से ही किये जा सकेंगे।

किसी भी प्रकार की अंकीय त्रुटि अथवा लिपिकीय त्रुटि होने पर शब्दों में उल्लिखित धनराशि प्रभावी मानी जायेगी।

2.18.3 प्रत्येक राशि को निविदा में अंकों के साथ शब्दों में भी उल्लेखित करना होगा।

2.18.4 सफल निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका जबलपुर, मध्यप्रदेश में स्थानीय कार्यालय है जिससे इस निविदा के अधीन प्रस्तावित सेवायें सफलतापूर्वक उपलब्ध कराई जा सकें।

अध्याय – 4
संविदा की सामान्य एवं विशिष्ट शर्ते

3.1 वाहन का प्रकार एवं अन्य विशिष्टियां

3.1.1 अनुबंध के अधीन उपलब्ध कराये जाने वाले टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ए.सी. वाहन का मेक व मॉडल पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

3.1.2 मासिक दर पर अनुबंध के प्रारंभ में नियोजित होने वाले वाहन का मॉडल वर्ष 2020 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। इस अनुबंध की वैधता की अवधि के दौरान किसी भी समय नियोजित होने वाला वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

3.1.3 वाहन सफेद रंग का ही होना चाहिए एवं नंबर प्लेट केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञात हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए।

3.1.4 सफल निविदाकार के द्वारा किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों को संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, के पास भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

3.1.5 सफल निविदाकार को वाहन को बिलकुल साफ–सुथरा तथा एकदम सही हालत में रखा जाना होगा। वाहन हेतु आवश्यक सीट कवर, पर्दे तथा अन्य सहायक उपकरण हमेशा उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जायेगा।

3.1.5 वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर को यह अधिकार होगा कि वो बाजार से अन्य वाहन किराये पर ले लेवें। इस स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा जो लागत वहन की जायेगी वो सफल निविदाकार के देयक से समायोजित की जायेगी।

3.2 वाहन की उपलब्धता तथा उपयोग

3.2.1 सफल निविदाकार को उपरोक्तानुसार कुल दो (02) टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ए.सी., वाहन चालक सहित, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर को नियमित रूप से उपलब्ध कराना है।

3.2.2 अन्य टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ए.सी. वाहन एवं 20/25 सीटर अथवा 32/35 सीटर बस आवश्यकतानुसार एवं संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के आदेशानुसार उपलब्ध करानी होंगी।

3.2.3 वाहन का उपयोग संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के आदेशानुसार किया जायेगा। सफल निविदाकार द्वारा अकादमी में नियोजित वाहन का अन्यथा उपयोग करने पर परफारमेंस गारण्टी समपहृत कर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।

3.2.4 किसी भी दुर्घटना के मामले में उत्पन्न समस्त दावे सफल निविदाकार या विक्रेता द्वारा स्वयं वहन किये जायेंगे।

3.2.5 सफल निविदाकार द्वारा दो वाहनो के लिए तीन वाहन चालक उपलब्ध कराने होंगे। जिनमें से दो वाहन चालक दिन में एवं एक वाहन चालक रात्रि में न्यूनतम 8 घंटें के लिए उपलब्ध रहेगा।

3.3 वैकल्पिक वाहन की उपलब्धता

3.3.1 यदि नियोजित वाहन व्यवस्था से बाहर चला जाता है या बंद हो जाता है तो सफल निविदाकार को एक अन्य वाहन स्वयं के व्यय पर शीघ्र ही उपलब्ध करवाना होगा।

3.3.2 यदि वाहन को उसी दिन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर को यह अधिकार होगा कि वो बाजार से अन्य वाहन किराये पर ले लेवें।

3.3.3 इस स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा वहन की जाने वाली लागत सफल निविदाकार के देयक से समायोजित की जायेगी।

3.4 देयक एव उनका भुगतान

3.4.1 देयक का भुगतान लॉग बुक में दर्शाये गये किलोमीटर के अनुसार किया जायेगा।

3.4.2 अनुबंध के व्यय में वाहन हेतु ड्राईवर, वाहन की मरम्मत तथा रखरखाव, बीमा, समस्त कर, पेट्रोल या डीजल, ऑईल, टोल टैक्स तथा अन्य समस्त आनुशंगिक व्यय शामिल होंगे।

3.4.3 वाहन किराये पर लेने पर आवश्यक देयक का भुगतान प्रत्येक माह के अंत में सफल निविदाकार द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा किया जायेगा।

3.4.4 यह भुगतान उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के पास पर्याप्त धन उपलब्ध होने के स्थिति पर निर्भर करता है। भुगतान में विलंब हेतु मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी अथवा उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश किसी क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं होंगे।

3.5 वाहन के वैधानिक दस्तावेज

3.5.1 इस अनुबंध के अधीन उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का वैध टैक्सी परमिट होना चाहिए।

3.5.2 वाहन चालक के पास वैध कमर्शियल ड्राइविंग लायसेंस होना चाहिए तथा वाहन को केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वाहन संबंधित विभागों से तथा आरटीओ से परिवहन हेतु पंजीकृत होना चाहिये।

3.5.3 सफल निविदाकार को मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा अनुबंध प्रदान करने के पश्चात् सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध को संपादित करने के पूर्व किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन, संपूर्ण बीमा पॉलिसियों, वैध टैक्सी परमिट तथा वाहन चालकों के वैध ड्राईविंग लायसेंस की प्रतियां मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के समक्ष जमा की जायेंगी।

3.5.4 सफल निविदाकार के द्वारा वाहन चालक का पुलिस सत्यापन कराकर स्वयं प्रस्तुत करना होगा।

3.6 अनुबंध का समाप्त किया जाना

3.6.1 मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर तथा सफल निविदाकार के मध्य होने वाला अनुबंध कम से कम 60 दिवस की पूर्व सूचना पर सफल निविदाकार द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।

3.6.2 मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना, बिना कारण बताए अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

3.7 पेनाल्टी

3.7.1 इस निविदा दस्तावेज में वर्णित किसी भी शर्त अथवा निबंधन का अनुपालन न होने के स्थिति में **₹** 500/– प्रति दिवस के आधार पर पेनाल्टी लगाई जायेगी, जो कि सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निष्पादन प्रतिभूति से वसूल की जा सकेगी।

3.7.2 निविदा दस्तावेज में वर्णित नियमों, शर्तों अथवा निबंधनों का बार–बार उल्लंघन करने पर अनुबंध को बिना कोई सूचना दिये समाप्त कर दिया जायेगा।

3.8 वाहन चालक से अपेक्षाएं

3.8.1 वाहन चालक को ड्यूटी पर समस्त शिष्टाचार संबंधी नियमों को पालन करना होगा तथा स्वच्छ सफेद/ख़ाकी वर्दी पहनना होगी।

3.8.2 वाहन चालक के पास एक मोबाईल फोन सदैव चालू हालत में होना चाहिए। इस हेतु मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

3.8.3 सफल निविदाकार तथा वाहन चालक को मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर तथा उसके अधिकारियों के निर्देश मानने होंगे।

3.9 परिवहित दूरी की गणना

सफल निविदाकार द्वारा एक लॉग बुक का संस्थापन किया जायेगा जिसमें वाहन के परिवहन का विवरण दर्शाया जायेगा। यह लॉग बुक संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित की जायेगी। वाहन का अनुबंध से अन्यथा उपयोग सफल निविदाकार या अन्य द्वारा किये जाने पर भुगतान का कोई दायित्व मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर पर नहीं होगा।

3.10 परफारमेंस गारण्टी

सफल निविदाकार के द्वारा **₹ 48,000**/– की राशि निविदा प्राप्ति के समय व अनुबंध निष्पादन के पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। यह परफारमेंस बैंक गारण्टी डिमाण्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt) अथवा बैंक गारण्टी के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी जो राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक की ही मान्य होगी एवं बैंक गारंटी की अवधि तीन वर्षों तक वैध होनी चाहिए।

3.11 संविदा की अवधि

3.11.1 यह अनुबंध पत्र निष्पादन दिनांक से तीन वर्ष तक की अवधि हेतु प्रभावशील होगा।

3.12 वाहन के मासिक परिचालन की गणना

यदि एक माह में एक इनोवा क्रिस्टा वाहन के द्वारा 800 कि.मी. की दूरी तय नहीं की जाती है तो शेष बची हुई दूरी अगले माह की 800 कि.मी. की दूरी में जुड़ जायेगी। ऐसा लगातार 3 माह तक किया जा सकेगा। यदि 3 माह तक भी उक्त समस्त दूरी का उपयोग नहीं हो पाता है तो उक्त जुड़ी हुई दूरी समाप्त हो जायेगी।

3.13 स्वीकृत दर में वृद्धि

अनुबंध निष्पादन की तिथि से डीज़ल के मूल्य में प्रत्येक 10 (दस) प्रतिशत की वृद्धि होने पर इस निविदा के अधीन स्वीकृत दर में 800 कि.मी. प्रतिमाह परिवहन पर डीजल के औसत व्यय के अनुसार अनुपातिक वृद्धि की जायेगी। इस हेतु सफल निविदाकार को डीज़ल के मूल्य में 10 (दस) प्रतिशत की वृद्धि होने पर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर को आवेदन द्वारा सूचित करना आवश्यक होगा। बिना सूचना ऐसी वृद्धि मान्य नहीं होगी। इस निविदा के अधीन स्वीकृत दर में ऐसी वृद्धि सूचना देने के आगामी माह से प्रभावशील होगी।

3.14 स्वीकृत दर में कटौती

अनुबंध निष्पादन की तिथि से डीज़ल के मूल्य में प्रत्येक 10 (दस) प्रतिशत की कमी होने पर इस निविदा के अधीन स्वीकृत दर में 800 कि.मी. प्रति माह परिवहन पर डीजल के औसत व्यय के अनुसार अनुपातिक कमी की जायेगी। इस हेतु सफल निविदाकार को डीज़ल के मूल्य में 10 (दस) प्रतिशत की कमी होने पर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर को आवेदन द्वारा सूचित करना आवश्यक होगा। बिना सूचना ऐसी कमी ज्ञात होने पर आगामी देयक से आनुपातिक राशि की कटौती की जाएगी तथा परफारमेंस बैंक गारण्टी समपहृत कर ली जायेगी। इस निविदा के अधीन स्वीकृत दर में ऐसी कटौती डीज़ल के मूल्य में कमी होने के आगामी माह से प्रभावशील होगी।

3.15 जी.एस.टी. की दर में परिवर्तन

इस निविदा आमंत्रण के अधीन निष्पादित अनुबंध के प्रभावशील होने के दौरान जी.एस.टी. की दर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का लाभ सफल निविदाकार अथवा क्रेता को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात, जी.एस.टी. की दर में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई दर से जी.एस.टी. की दर में कटौती होने पर घटी हुई दर से क्रेता द्वारा देयक का भुगतान किया जायेगा

3.16 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के पास किसी भी निविदा को बगैर किसी कारण के एवं 30 दिवस की सूचना देकर संविदा समाप्त करने की अधिकारिता होगी।

3.17 माध्यस्थतम – किसी भी विवाद के मामले में निम्नलिखित माध्यस्थतम प्रावधान लागू होगा :–

अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद को उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त एकमात्र अधिनिर्णायक के पास भेजा जाएगा। अधिनिर्णायक का निर्णय अंतिम होगा और अनुबंध के दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। माध्यस्थतम का स्थान केवल जबलपुर होगा। मध्यस्थता का खर्च अंतिम पंचाट के अनुसार संबंधित पक्षकार द्वारा देय होगा। माध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके तहत नियम, फिलहाल लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन को इस अनुबंध के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू माना जाएगा।

3.18 शासकीय कानून और क्षेत्राधिकार :–

यह समझौता भारत में संविदा निष्पादन दिनांक को लागू विधि अनुसार द्वारा शासित होगा। समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद जबलपुर की अदालतों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

अध्याय –5

तकनीकि निविदा फार्म

इस निविदा आमंत्रण में रूचि रखने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था/कंपनी द्वारा निम्न जानकारी की पूर्ति की जानी है

(दस्तावेज संलग्न करें)

सरल क्रमांक	शीर्षक	विवरण	दस्तावेज (संलग्न है अथवा नहीं)
1	निविदाकर्ता का नाम तथा पता (फोन नंबर, ई–मेल एवं पंजीयन क्रमांक के साथ उल्लेख करें)		
2	व्यवसाय का प्रकार		
3	जी.एस.टी. पंजीयन संबंधित विवरण एवं नवीनतम जी.एस.टी. रिर्टन		
4	निविदाकर्ता का आयकर पेन (PAN) नं. गत तीन वित्तीय वर्षो (2020–2021, 2021–2022 और 2022–2023) के आयकर रिर्टन		
4	निविदाकार का स्वयं के वाहन न होने की दशा में वाहन के पंजीकृत स्वामी के साथ निविदाकार द्वारा वाहन को किराये पर लिये जाने की स्वीकृति वाला अनुबंध पत्र		
5	वाहन के वास्तविक स्वामी की जानकारी (वाहन क्रमांक, नाम व पूर्ण पता)		
6	आर.टी.ओ. से संबंधित दस्तावेज		
7	टैक्स		
8	बीमा		
9	पूर्व में किसी संस्था/कंपनी को किराये पर वाहन उपलब्ध करवाने संबंधी जानकारी (संस्था का नाम, पता तथा समयावधि जिसके लिए वाहन किराये पर प्रदाय किया गया)		

नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

अध्याय –6

वित्तीय निविदा फार्म

इस निविदा आमंत्रण में रूचि रखने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था/कंपनी द्वारा निम्न प्रारूप में वित्तीय निविदा प्रस्तुत की जानी है

1. मासिक दर (प्रति वाहन)

(एयर कंडीशंड 7/8 सीटर टोयोटा इनोवाक्रिस्टा वाहन के किराए की दर)

क्र.	विवरण	मासिक दर (प्रति वाहन) (निविदा प्रपत्र अनुसार सभी प्रकार के व्यय सहित)
1	800 किलोमीटर प्रतिमाह दूरी के अनुसार जिसमें ड्राईवर की उपलब्धता बनी रहेगी।	
2	प्रत्येक तिमाही में 800 किलोमीटर प्रतिमाह की दूरी के पश्चात् तय की गई अतिरिक्त दूरी हेतु प्रति कि.मी. के हिसाब से राशि की दर	

2. दैनिक दर (आवश्यकतानुसार)

(एयर कंडीशंड 7/8 सीटर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन के किराए की दर)

क्र.	वाहन का विवरण	वाहन की आवश्यकता का विवरण		दैनिक दर (निविदा प्रपत्र अनुसार सभी प्रकार के व्यय सहित)
1.	7/8 सीटर टोयोटा इनोवा क्रिस्टावाहन (ए.सी.)	1.	प्रति कि.मी. दर (80 कि.मी. एवं 8 घंटे तक)	
		2.	80 कि.मी. के बाद प्रत्येक कि. मी. की दर	
		3.	8 घंटे के बाद ड्रायवर हॉल्टिंग चार्ज प्रति घंटा	

<u>निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा</u>

2.	20/25 सीटर मिनी बस (ए.सी.)	1.	प्रति कि.मी. दर (80 कि.मी. एवं 8 घंटे तक)	
		2.	80 कि.मी. के बाद प्रत्येक कि. मी. की दर	
		3.	8 घंटे के बाद ड्रायवर हॉल्टिंग चार्ज प्रति घंटा	
3.	32/35 सीटर पैसेंजर बस (ए.सी.)	1.	प्रति कि.मी. दर (80 कि.मी. एवं 8 घंटे तक)	
		2.	80 कि.मी. के बाद प्रत्येक कि. मी. की दर	
		3.	8 घंटे के बाद ड्रायवर हॉल्टिंग चार्ज प्रति घंटा	

मैंने निविदा प्रलेख में उल्लेखित सभी शर्तें पढ़ ली है और उन्हें पूरी तरह से मान्य करता हूं।

दिनांकः

नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी